

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांक:- बेसिक/21776-79 /2019-20 दिनांक 29-11-19

प्रबन्धक,

एस0एस0ई0जू0हा0स्कूल ग्राम-बारापुर,  
विकास क्षेत्र-भावलखेड़ा, शाहजहाँपुर।

विषय- एस0एस0ई0जू0हा0स्कूल ग्राम-बारापुर, विकास क्षेत्र-भावलखेड़ा, शाहजहाँपुर की मान्यता जारी रहने का प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 08 तक मान्यता इस कार्यालय के पत्रांक:-बेसिक/मान्यता/4742-45/2017-18 दिनांक 24.05.2017 के द्वारा शासनादेश संख्या-419 /79-6-2013-13 (20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2019 तक अस्थाई रूप से प्रदान की गयी थी।

शासनादेश संख्या-442/79-6-2011 दिनांक 19 मई 2011 एवं शासनादेश संख्या-418/79-6-2013-18 एस0 (7)/89 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर-13 के अनुसार नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान हो गयी है।

शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्रस्तर-02 के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी भावलखेड़ा की आख्यानुसार उक्त विद्यालय के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है। तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

( राकेश कुमार )


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।

पृ0सं0:-बेसिक/ /2019-20 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी-भावलखेड़ा, शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।

  
PRINCIPAL  
Ram Ladeti Devi Public School  
Barapur, Powayan Road  
Shahjahanpur

  
MANAGER  
Ram Ladeti Devi Public School  
Barapur, Powayan Road  
Shahjahanpur

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
रामलडैती देवी पब्लिक स्कूल ग्राम-बारापुर,  
विकास क्षेत्र-भावलखेड़ा, शाहजहाँपुर।

पत्रांक:- बेसिक/मान्यता/6916-20 /2020-21 दिनांक 27-10-2020

विशय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र में नाम के परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या-418/79-6-2013-18 एस0(07) शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के क्रम में आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण की प्रति निर्देश से, इस कार्यालय के पत्रांक:-बेसिक/21776-79/2019-20 दिनांक 29.11.2019 के द्वारा आपके विद्यालय एस0एस0ई0 जूनियर हाईस्कूल ग्राम-बारापुर, विकास क्षेत्र-भावलखेड़ा, शाहजहाँपुर को नर्सरी से कक्षा 08 तक की स्थाई मान्यता प्रदान की गयी है। रामलडैती देवी शिक्षण समिति, 7 माइल स्टोन पुवायों रोड, तह0-सदर, शाहजहाँपुर द्वारा पारित प्रस्ताव एवं प्रबन्धक द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम विद्यालय का नाम एस0एस0ई0 जूनियर हाईस्कूल ग्राम-बारापुर, विकास क्षेत्र-भावलखेड़ा, शाहजहाँपुर के स्थान पर रामलडैती देवी पब्लिक स्कूल ग्राम-बारापुर, विकास क्षेत्र-भावलखेड़ा, शाहजहाँपुर परिवर्तित किया जाता है।

भवदीय,

( राकेश कुमार )

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।

27/10/20


पृष्ठांकन संख्या:- बेसिक/मान्यता/

/2020-21 तद् दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।

  
PRINCIPAL  
Ram Ladeti Devi Public School  
Barapur, Powayan Road  
Shahjahanpur

  
MANAGER  
Ram Ladeti Devi Public School  
Powayan Road, Shahjahanpur

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
रामलडैती देवी पब्लिक स्कूल ग्राम-बारापुर,  
विकास क्षेत्र-भावलखेड़ा, शाहजहाँपुर।

पत्रांक:- बेसिक / 13053 / 2023-24 दिनांक 01/12/23  
विषय:- विद्यालय की मान्यता प्रमाणित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 30.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने विद्यालय के स्थाई मान्यता प्रमाण पत्र की मांग की है। इस सम्बन्ध में आपको निम्नवत् सूचित किया जाता है।

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि रामलडैती पब्लिक स्कूल ग्राम-बारापुर विकास क्षेत्र भावलखेड़ा, शाहजहाँपुर को विभाग/शासन के द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक स्थाई मान्यता प्रदान की गयी है। यह विद्यालय विभाग के नियंत्रण में शिक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत सुचारु रूप से विधिवत् रूप से संचालित हो रहा है।

भवदीय,




( रणवीर सिंह )

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर। 01/12/23



**PRINCIPAL**  
Ram Ladeti Devi Public School  
Barapur, Powayan Road  
Shahjahanpur



**MANAGER**  
Ram Ladeti Devi Public School  
Barapur, Powayan Road  
Shahjahanpur